UPGK010067152026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (रेप एण्ड पाक्सो) कोर्ट सं०- 2, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2916/2026

उत्कर्ष पुत्र गौतम कुमार उम्र-19 वर्ष, निवासी ग्राम-बोक्टा, थाना-गीडा, जनपद-गोरखपुर।

--------आवेदक/ अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार --------विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या- 250/ 2026

अन्तर्गत धारा- 87,137(2),351(3) भा०न्या०सं०

थाना- गीडा, जनपद- गोरखपुर।

दिनांक-17-07-2026

1. आवेदक/अभियुक्त उत्कर्ष द्वारा मुकदमा अपराध संख्या- 250/ 2026 धारा- 87,137(2),351(3) भा०न्या०सं० थाना- गीडा जनपद- गोरखपुर के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता द्वारा इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व किसी अन्य न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र लंबित नहीं है और न ही दाखिल है और ना ही निस्तारित हुआ है।

2. वादी मुकदमा ने इस आशय की तहरीर थाना पर दिया कि सविनय निवेदन है कि प्रार्थी की पुत्री कनिष्का उर्म करीब 12 वर्ष जो ग्राम बोक्टा थाना गीडा, जनपद-गोरखपुर के रहने वाले उत्कर्ष पुत्र श्री गौतम से मोबाइल के द्वारा बीते कुछ दिनों पहले बात-चीत कर रही थी। जोकि जानकारी होने पर प्रार्थी उक्त अपने पुत्री पीड़िता को काफी समझाया लेकिन उत्कर्ष आये दिन मोबाइल पर फोन करके परेशान करता रहता था। जोकि आज दिनांक-03/06/2026 समय करीब सांय 06 बजे के आस-पास उसकी पुत्री घर से गायब है। जोकि प्रार्थी खोजबीन करना शुरू किया गीडा के तरफ खोजते हुए गया तो देखा गीडा पानी के टंकी के पास उसकी पुत्री व उत्कर्ष दोनो खड़े थे। प्रार्थी देखा तो उन लोगों के पास गया उसकी पुत्री के हाथ में एक मोबाईल था उसने मोबाईल छीन लिया तभी उत्कर्ष उसकी पुत्री को दो पहिया गाड़ी पर बैठा कर काफी स्पीड में भाग गया। प्रार्थी उक्त उत्कर्ष के घर बोक्टा गया वहां वह इस बात को बताया तो उक्त उतकर्ष के पिता गौतम पत्नी दुर्गावती गीता दोनो धमकी भरे अंदाज में उससे कहने लगे कि जाओ उसे मार कर फेंक दो तथा उसे ही मारने पीटने के धमकियां देने लगे। तद्नुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी पूर्णरूप से निर्दोष है तथा रंजिशन प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त बना दिया गया है। घटना दिनांक-03/06/2026 की कही जाती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 3 दिन विलम्ब से दिनांक-06/06/2026 को अंकित की गई तथा विलम्ब का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा-137 (2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उनके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना बहला फुसला कर या जबरन कही ले जाता है तो यह अपराध माना जाता है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस प्रकार वादी की पुत्री को बहलाया फुसलाया गया या बल का प्रयोग किया गया जिससे प्रार्थी के विरूद्ध लगी धारा-137 (2) बी०एन०एस० नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी को भी कोई अपराधिक धमकी नहीं दी गई है जिससे प्रार्थी के विरूद्ध लगाई गई धाराएँ 351 (3) बी०एन०एस० नहीं बनती है। प्रार्थी द्वारा कभी भी

जबरन विवाह का कोई प्रयास नहीं किया गया है तथा न ही उक्त के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख है जिससे प्रार्थी के विरूद्ध लगाई गई धारा-87 बी०एन०एस० नहीं बनता है। सत्यता यह है कि वादी मुकदमा स्वयं अपनी पुत्री की शादी प्रार्थी से करने के लिए दबाव बने रहे परन्तु प्रार्थी द्वारा यह कहने पर की शादी की उम्र हो जाने दिजिए तब शादी करेगें रुष्ट होकर प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार के विरूद्ध फर्जी मुकदमा अंकित कर दिए। किसी भी स्वतन्त्र या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा घटना कारित करते हुए नहीं देखा गया है जिससे यह घटना स्वयं में सन्देहास्पद प्रतीत होती है। किसी भी स्वतन्त्र या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को ले आते या ले जाते नहीं देखा गया है तथा न ही प्रार्थी के पास से पिड़िता की बरामदगी है जिससे सम्पूर्ण घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा इस मुकदमें से सम्बन्धित कोई अन्य जमानत प्रार्थना-पत्र किसी अन्य न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित या विचाराधीन नही है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गुण-दोष पर विचार किये सरसरी तौर पर खारिज की जा चुकी है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 04/07/2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। तद्नुसार उक्त कथनों के आधार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादी की पुत्री/ पीड़िता को बहला-फुसलाकर शादी करने तथा शारीरिक सम्बन्ध बनाने की नियत से भगाया है। आवेदक/अभियुक्त ने गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि वादी मुकदमा रामाकान्त की ओर से घटना दिनांक 03.06.2026 समय 18.00 बजे की बताते हुए थाना- गीडा पर मु०अ०सं०-250/ 2026 अन्तर्गत धारा-351(3), 137(2) भा०न्या०सं० दिनांक 03.06.2026 को 18.00 बजे अभियुक्त/आवेदक उत्कर्ष व दो अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध इस कथन के साथ पंजीकृत कराया गया है कि उसकी पुत्री उर्म करीब 12 वर्ष जो ग्राम बोक्टा थाना गीडा, जनपद-गोरखपुर के रहने वाले उत्कर्ष पुत्र श्री गौतम से मोबाइल के द्वारा बीते कुछ दिनों पहले बात-चीत कर रही थी। जोकि जानकारी होने पर उसने उक्त अपनी पुत्री पीड़िता को काफी समझाया लेकिन उत्कर्ष आये दिन मोबाइल पर फोन करके परेशान करता रहता था। जोकि आज दिनांक-03/06/2026 समय करीब सांय 06 बजे के आस-पास उसकी पुत्री घर से गायब है। वह खोजबीन करना शुरू किया गीडा के तरफ खोजते हुए गया तो देखा गीडा पानी के टंकी के पास उसकी पुत्री व उत्कर्ष दोनो खड़े थे। उसने देखा तो उन लोगों के पास गया उसकी पुत्री के हाथ में एक मोबाईल था उसने मोबाईल छीन लिया तभी उत्कर्ष उसकी पुत्री को दो पहिया गाड़ी पर बैठा कर काफी स्पीड में भाग गया। वह उत्कर्ष के घर बोक्टा गया वहां वह इस बात को बताया तो उक्त उतकर्ष के पिता गौतम पत्नी दुर्गावती गीता दोनो धमकी भरे अंदाज में उससे कहने लगे कि जाओ उसे मार कर फेंक दो तथा उसे ही मारने पीटने के धमकियां देने लगे। प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित हुआ कि पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 में अपनी आयु 14 वर्ष बताते हुए यह कहा है कि वह काम पर नहीं जा रही थी, इसलिए मम्मी-पापा गुस्सा कर रहे थे, इसलिए वह नाराज होकर घर छोड़कर चली गयी थी, वह इधर-उधर तब से घूम रही थी। आज जब गुस्सा शान्त हुआ तो वह खुद वापस आ गयी। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा- 183 भा०न्या०सु० में अपनी उम्र 16 वर्ष बताते हुए दिनांक 03.06.2026 को अपनी मर्जी से दुर्गा मन्दिर में जाना तथा स्वयं के साथ कोई अत्याचार न होना बताया है। प्रश्नगत मामले में वाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। साक्ष्य संकलन की कोई कार्यवाही शेष नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया जाता है। उपरोक्त कथनो तथा मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर जाये बगैर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त उत्कर्ष का जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रलोभन एवं धमकी नही देगा, उन्हें साक्ष्य देने से निवारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन के समय व धारा 351 भा०न्या०सु०सं० की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
4. अभियोजन साक्षी के उपस्थित आने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अभियोजन पक्ष/सूचनादाता अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

आवेदक/अभियुक्त उत्कर्ष द्वारा 50,000/–रुपये (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(शमीम अहमद अंसारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
(रेप एण्ड पाक्सो) कोर्ट सं०-2 गोरखपुर।

Digitally signed by SHAMIM AHMAD ANSARI
Date: 2026.07.17 16:01:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court